(194)

REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 22, 2004/पौष 1, 1926
No. 194] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004/PAUSA 1, 1926

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2004

फा.सं. 38-10/विधि/2004.—क्षेत्रीय समितियों के गठन एवं कृत्यों के बारे में परिषद् द्वारा सा.का.नि. 63 दिनांक 19 जनवरी, 1995 के माध्यम से जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए तथा अभातशिप अधिनियम (1987 का अधिनियम संख्यांक 52) की धारा 14(1) (iii) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभातशिप एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—**

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (क्षेत्रीय समितियों का गठन एवं कृत्य) विनियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

उक्त विनियमों के पैरा 2, 3, 4 और 5 अपरिवर्तनीय रहेंगे।

2. **क्षेत्रीय समितियों के कृत्य :—**

(i) क्षेत्र के भीतर तकनीकी शिक्षा की आयोजना, उसके संवर्धन एवं विनियमन के सभी पहलुओं पर परिषद् को सलाह देना और उसकी सहायता करना;

(ii) क्षेत्र में विद्यमान तकनीकी शिक्षा परिदृश्य तथा प्रत्याशित भावी प्रवृत्तियों का समय-समय पर मूल्यांकन करने में परिषद् की सहायता करना;

(iii) ऐसे मुद्दों एवं कार्यनीतियों पर परिषद् को सलाह देना एवं उसकी सहायता करना जो क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता एवं परिमाण दोनों से संबंधित हों;

(iv) भावी विकास के क्षेत्रों/पाठ्यक्रमों/विषय क्षेत्रों के प्रक्षेपण के साथ-साथ क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा सुविधाओं का साम्यापूर्ण वितरण सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाना ;

(v) परिषद् के तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों के सन्नियमों एवं मानकों तथा परिषद् की अन्य सिफारिशों एवं निर्णयों के अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन में सहायता करना ;

(vi) तकनीकी संस्थाओं के सर्वेक्षण, तकनीकी जनशक्ति के मूल्यांकन तथा डाटाबेस विकसित करने एवं उसके संग्रहण में परिषद् के जनशक्ति एवं कैरियर विकास ब्यूरो की सहायता करना;

(vii) परिषद् द्वारा समय-समय पर परिकल्पित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में परिषद् की सहायता करना;

(viii) जब कभी अपेक्षित हो, परिषद् के राष्ट्रीय प्रत्यायन मंडल की सहायता करना ; और

(ix) परिषद् द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य निष्पादित करना।

अनुराधा गुप्ता, भा.प्र.से., सदस्य सचिव

[विज्ञापन III/IV/162/2004-असा.]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2004

F. No. 38-10/Legal/2004.—In partial modification of the Notification issued by the Council vide GSR 63 dated 19th January, 1995, regarding Constitution and Functions of Regional Committees and in exercise of the powers conferred under Section 14(1)(iii) of the AICTE Act (Act 52 of 1987) the AICTE hereby makes regulations as under :—

1. **Short title and Commencement :—**

(1) These Regulations may be called The All India Council for Technical Education (Constitution and Functions of Regional Committees) Regulations, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Para 2, 3, 4 and 5 of the said Regulations remain unchanged.

2. **Functions of the Regional Committees :—**

(i) to advise and assist the Council in all aspects of planning promoting and regulating technical education within the region;

(ii) to assist the Council in assessing the technical education scenario prevalent in the region from time to time and anticipated future trends;

(iii) to advise and assist the Council on issues and strategies having bearing on both quality and quantity of technical education in the region;

(iv) to suggest measures to ensure equitable distribution of technical education facilities in the region besides projection of areas/courses/disciplines of future growth;

(v) to assist in monitoring and implementation of the norms and standards in technical education programmes of the Council and other recommendations or decisions of the Council;

(vi) to assist the bureau of Man-power and Career Development of the Council in the survey of technical institutions-technical manpower assessment and in developing and collection of data base;

(vii) to assist the Council in Quality Improvement Programmes designed by the Council from time to time.

(viii) to assist the National Board of Accreditation of the Council whenever required.

(ix) to carry out any other work assigned by the Council.

ANURADHA GUPTA, IAS, Member Secretary

[ADVT. III/IV/162/2004-Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

(15)

रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 29—फरवरी 4, 2005 (माघ 9, 1926)
No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 29—FEBRUARY 4, 2005 (MAGHA 9, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक
सरकारी और बैंक लेखा विभाग
केन्द्रीय कार्यालय
मुंबई, दिनांक 14 जनवरी 2005

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल, 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल, 1954 की अधिसूचना सं. एफ.(8) 70/बी 52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए लोक ऋण नियमावली, 1946 के नियम 18 के अनुसरण, नवम्बर 2004 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्द्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई-400 008 को संसूचित करें।

सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग "क" में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग "ख" में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है:

सूची 'क"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6

"कुछ नहीं"

जे. एम. बावा
सहायक प्रबंधक